इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 39] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 26 सितम्बर 2014—आश्विन 4, शक 1936

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुर:स्थापित विधेयक,
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 सितम्बर 2014

क्र. ई.-1-315-2014-5-एक .—श्री आई.सी.पी. केशरी, भाप्रसे (1988) पदस्थापना के लिए प्रतीक्षारत को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग पदस्थ किया जाता है.

(2) उपरोक्तानुसार श्री आई.सी.पी. केशरी द्वारा प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री मोहम्मद सुलेमान, भाप्रसे (1989) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग तथा वाणिज्य उद्योग एवं रोजगार विभाग (अतिरिक्त प्रभार) केवल ऊर्जा विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे एवं उनकी मूल पदस्थापना प्रमुख सचिव, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग के पद पर मानी जावेगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ऑन्टोनी डिसा, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 6 सितम्बर 2014

क्र. एफ ए 5-10-2011-एक(1).—राज्य शासन, एतद्द्वारा मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त माननीय मुख्य न्यायाधीश/न्यायाधीशों को सेवानिवृत्ति उपरांत वर्तमान में देय कुल भत्तों में प्रतिमाह रुपये 1000/- की वृद्धि करते हुए अब मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय को

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2014.

मासिक कुल रु. 13,000/- के स्थान पर रु. 14,000/- एवं माननीय न्यायाधिपति महोदय को कुल रु. 11,000/- के स्थान पर रु. 12,000/- समेकित रूप से भत्ता (सचिवालयीन, अर्दली, दूरभाष भत्ते इत्यादि) स्वीकृत किया जाता है.

(2) वित्त विभाग के जावक क्रमांक-1296-1372-2014-नियम-चार, दिनांक 22 जुलाई 2014 द्वारा प्रकरण में सहमति प्राप्त है.

(3) उपरोक्त पर होने वाला व्यय मुख्य शीर्ष क्रमांक 2071 पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ (01) सिविल (106) उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से संबंधी पेंशन प्रभार के अन्तर्गत विकलनीय होगा.

(4) मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, उक्त आदेशार्थ आहरण एवं संवितरण अधिकारी होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. आर. विश्वकर्मा, उपसचिव.

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 सितम्बर 2014

क्र. एफ-1(ए) 27-94-ब-2-दो.—श्री आलोक रंजन, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, प्रशासन, पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 19 अगस्त से 6 सितम्बर 2014 तक उन्नीस दिवस अर्जित अवकाश 15, 16, 17 एवं 18 अगस्त 2014 एवं 7 सितम्बर 2014 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्री आलोक रंजन, भापुसे, की अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री संजय कुमार, भापुसे, सहायक पुलिस महानिरीक्षक, कार्मिक, पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा वर्तमान कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री आलोक रंजन, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, प्रशासन, पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री आलोक रंजन, भापुसे द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री आलोक रंजन, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आलोक रंजन, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ-1(ए) 195-91-ब-2-दो.—श्री विजय कटारिया, भापुसे, महानिरीक्षक आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, भोपाल को दिनांक 1 से 12 सितम्बर 2014 तक, कुल बारह दिवस अर्जित अवकाश, दिनांक 21 अगस्त 2014 एवं 13, 14 सितम्बर 2014 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाशकाल में श्री विजय कुमार कटारिया, भापुसे को अवकाश, वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विजय कुमार कटारिया, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 8 सितम्बर 2014

क्र. एफ-1(ए) 154-93-ब-2-दो.—श्री डी. श्रीनिवास राव, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, गुप्तवार्ता(जी), मध्यप्रदेश, भोपाल को दिनांक 1 से 12 सितम्बर 2014 तक, बारह दिवस अर्जित अवकाश, दिनांक 31 अगस्त 2014 एवं 13, 14 सितम्बर 2014 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्री डी. श्रीनिवास राव, भापुसे की अवकाश अवधि में उनका कार्य सुश्री सोनाली मिश्रा, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, कानून व्यवस्था-सुरक्षा, पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा वर्तमान कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री डी. श्रीनिवास राव, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, गुप्तवार्ता, पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री डी. श्रीनिवास राव, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, गुप्तवार्ता, पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री डी. श्रीनिवास राव, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी. श्रीनिवास राव, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ-1(ए) 400-88-ब-2-दो.—(1) श्री पुरुषोत्तम शर्मा, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, (पुलिस सुधार), पुलिस मुख्यालय,

भोपाल ने दिनांक 22 सितम्बर 2014 से 17 अक्टूबर 2014 तक, छब्बीस दिवस अर्जित अवकाश 20, 21 सितम्बर 2014 एवं 18, 19 अक्टूबर 2014 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्री पुरुषोत्तम शर्मा, भापुसे, की अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री स्वर्ण सिंह, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक (सामुदायिक पुलिसिंग) पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा वर्तमान कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री पुरुषोत्तम शर्मा, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, (पुलिस सुधार), पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री पुरुषोत्तम शर्मा, भापुसे द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री पुरुषोत्तम शर्मा, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पुरुषोत्तम शर्मा,भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ-1(ए) 253-88-ब-2-दो.—(1) श्री आर. के. गर्ग, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, एस.सी.आर.बी., पुलिस मुख्यालय, भोपाल ने दिनांक 30 अगस्त 2014 का एक दिवस अर्जित अवकाश 29 एवं 31 अगस्त 2014 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्री आर. के. गर्ग, भापुसे, की अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री पी. के. माथुर, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, एस.सी.आर.बी. पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा वर्तमान कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. गर्ग, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, एस.सी.आर.बी., पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री आर. के. गर्ग, भापुसे द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री आर. के. गर्ग, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आर. के. गर्ग, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 12 सितम्बर 2014

क्र. एफ-1(ए) 185-91-ब-2-दो.—(1) श्री जी. पी. सिंह, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, (सतर्कता), पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 15 से 19 सितम्बर 2014 तक, पांच दिवस अर्जित अवकाश 13, 14, 20 एवं 21 सितम्बर 2014 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्री जी. पी. सिंह, भापुसे की अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री राजीव टंडन, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अपराध अनुसंधान विभाग, पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा वर्तमान कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री जी. पी. सिंह, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, (सतर्कता), पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री जी. पी. सिंह, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, (सतर्कता), पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री जी. पी. सिंह, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जी. पी. सिंह, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बसंत प्रताप सिंह, प्रमुख सचिव.

तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 9 सितम्बर 2014

क्र. एफ 14-19-2007-बयालीस(1).—विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 10 जुलाई, 2014 के द्वारा राज्य शासन द्वारा श्री प्रसन्न कुमार दाश (सेवानिवृत्त अपर मुख्य सचिव मध्यप्रदेश शासन) को प्रवेश एवं फीस विनियामक समिति के अपील प्राधिकारी के पद पर तीन वर्ष के लिए नियुक्त किया गया है.

(2) राज्य शासन द्वारा श्री प्रसन्न कुमार दाश (सेवानिवृत्त अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन) अपीलीय प्राधिकारी, प्रवेश एवं फीस विनियामक समिति, भोपाल की सेवा-शर्तें निम्नानुसार निर्धारित की जाती हैं :—

1. सेवानिवृत्ति के पूर्व प्राप्त हो रही सभी सुविधायें जैसे- मकान, वाहन, यात्रा-भत्ता, चिकित्सा सुविधा, दूरभाष, छुट्टी, यात्रा रियायत अवकाश आदि प्राप्त होती रहेगी.

2. सेवानिवृत्ति के पूर्व प्राप्त हो रहे वेतन में से पेंशन की राशि को कम करते हुये शेष राशि वेतन के रूप में देय होगी इस वेतन राशि का राज्य शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता देय हो किन्तु पेंशन पर मंहगाई राहत की पात्रता नहीं होगी.

3. नियुक्ति पूर्णकालिक होने के कारण अपीलीय प्राधिकारी अन्य कोई व्यवसाय, कार्य, सेवा आदि नहीं कर सकेंगे.

4. अन्य सेवा-शर्तें शासन की समस्त सामान्य सेवा-शर्तों के अनुरूप होगी.

(3) यह आदेश वर्तमान श्री प्रसन्न कुमार दाश (सेवानिवृत्त अपर मुख्य सचिव मध्यप्रदेश शासन) द्वारा अपीलीय प्राधिकारी, प्रवेश एवं फीस विनियामक समिति, भोपाल का कार्यकाल प्रारंभ होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शमीम उद्दीन, अपर सचिव.

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 सितम्बर 2014

क्र. एफ 10-63-2001-सत्रह-मेडि-2.—विभागीय समसंख्यक, दिनांक 26 फरवरी 2013 में संशोधन करते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा निम्नानुसार पुनर्रीक्षित टीम को सक्षम प्राधिकारी नियुक्त करता है :—

1. संचालक, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, संचालनालय, स्वास्थ्य सेवाएं, भोपाल.	—	अध्यक्ष
2. श्रीमती सरला माथुर, अध्यक्ष ऑल इण्डिया वूमेन्स कान्फ्रेंस, भोपाल.	—	सदस्य
3. अतिरिक्त सचिव, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, मध्यप्रदेश.	—	सदस्य

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरुण कुमार तोमर, उपसचिव.

श्रम विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 सितम्बर 2014

क्र. 1429-375-2014-ए-सोलह.—मध्यप्रदेश औद्योगिक नियोजन (स्थाई आज्ञाएं) अधिनियम, 1961 की धारा 3(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार श्रम विभाग के अधिसूचना क्रमांक 778-375-2014-ए-16, दिनांक 03 जून 2014 जो मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जून, 2014 में प्रकाशित हुई है, को एतद्द्वारा संशोधित करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में शब्द "श्री पी.के. दुबे, उप श्रमायुक्त, मुख्यालय, इंदौर" के स्थान पर "श्री पी.के. दुबे, अपर श्रम आयुक्त" प्रतिस्थापित किये जायें.

No. 1430-375-2014-A-XVI.—In exercise of the powers conferred by Section 3 (a) of the Madhya Pradesh Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1961 (No. 26 of 1961), the State Government hereby, amends the Labour department's notification No. 778-375-2014-A-XVI, dated 3rd June 2014 which was published in Madhya Pradesh Gazette, dated 6th June 2014, namely :—

AMENDMENT

In the said notification the words "Shri P. K. Dubey, Deputy Labour Commissioner, Headquarter, Indore" Shall be substituted by the words "Shri P. K. Dubey, Additional Labour Commissioner".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीनिवास शर्मा, उपसचिव.

जेल विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 15 सितम्बर 2014

क्र. एफ-03-15-2009-तीन-जेल.—राज्य शासन एतद्द्वारा, इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ-03-15-2009-तीन-जेल, दिनांक 28 दिसम्बर 2010 को निरस्त करते हुए मध्यप्रदेश बन्दी परिवीक्षाधीन सम्मोचन अधिनियम, 1954 एवं तदाधीन निर्मित नियम, 1964 के नियम-6 के उप नियम (5) के अंतर्गत राज्य परिवीक्षा मण्डल का पुनर्गठन कर श्री भागीरथ पाटीदार पुत्र श्री प्रेमनारायण पाटीदार, 6, पटेल सदन, होशंगाबाद रोड, मिसरोद, भोपाल, हुजूर को आगामी तीन वर्षों के लिये अशासकीय सदस्य नियुक्त करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दशरथ कुमार, उपसचिव.

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 सितम्बर 2014

क्र. एफ 19-86-2014-एक-4.—राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश राज्य में बांस आधारित विकास कार्यों हेतु मध्यप्रदेश राज्य बांस मिशन की समीक्षा तथा मिशन के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु शासन की विभिन्न योजनाओं के साथ मिशन के कार्यों का अभिसरण (Convergence) करने हेतु निम्नानुसार राज्य स्तरीय समिति (State Level Steering Committee) का गठन किया जाता है :—

1. मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन — अध्यक्ष
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग. — सदस्य
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग. — सदस्य
4. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग. — सदस्य
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग. — सदस्य
6. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग. — सदस्य
7. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग. — सदस्य
8. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग. — सदस्य
9. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग. — सदस्य
10. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश — सदस्य
11. मिशन संचालक, मध्यप्रदेश राज्य बांस मिशन — सदस्य-सचिव.

(2) समिति निम्नानुसार कार्य सम्पादित करेगी :—

(i) मिशन के कार्यों की समीक्षा करना एवं दिशा-निर्देश जारी करना.

(ii) विभिन्न शासकीय विभागों की बांस आधारित योजनाओं के साथ अभिसरण.

(iii) बांस अधारित उद्योगों को प्रोत्साहित करना.

(iv) बांस को काष्ठ के विकल्प के रूप में प्रोत्साहन देना.

(v) बांस के विकास में आने वाली बाधाओं को दूर करने हेतु कार्यवाही करना.

(vi) बांस संबंधी अन्य सामायिक विषय पर सुझाव देना.

(vii) अध्यक्ष द्वारा निर्धारित अन्य कोई विषय.

(3) समिति की बैठक तीन माह में एक बार की जावेगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एन. चौहान, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 16/17 सितम्बर 2014

फा. क्र. 17(ई)82-2003-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन, श्रीमती माधुरी राजलालजी, प्रथम सिविल न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, शहडोल की सेवाएं, पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण, जबलपुर के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करने हेतु उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अस्थाई रूप से, आगामी आदेश होने तक, एतद्द्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग नई दिल्ली को सौंपता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. व्ही. सिरपुरकर, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 15 सितम्बर 2014

फा. क्र. 17(ई)202-2014-इक्कीस-ब (दो).—राज्य शासन, जिला मुख्यालय भिण्ड में नोटरी के पद पर नियुक्त श्री गिरिराज शर्मा, नोटरी का दिनांक 11 जनवरी 2013 को स्वर्गवास होने के फलस्वरूप, उनका नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है.

फा. क्र. 17(ई)201-2014-इक्कीस-ब (दो).—राज्य शासन, श्री महेन्द्र सिंह राठौर, नोटरी लहार द्वारा नोटरी अधिनियम, 1952 की धारा 10(a) के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन-पत्र दिनांक 8 जुलाई 2014 के परिपेक्ष्य में एतद्द्वारा, उनका नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है.

फा. क्र. 17(ई)53-2000-इक्कीस-ब (दो).—राज्य शासन, इस विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 18 अप्रैल 2000 द्वारा तहसील शाहपुर, जिला बैतूल के लिये नियुक्त नोटरी, श्री घनश्याम गुप्ता का

दिनांक 7 जनवरी 2014 को स्वर्गवास होने के फलस्वरूप उनका नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित किया जाता है.

भोपाल, दिनांक 17 सितम्बर 2014

फा. क्र. 1(बी)-4-2004-इक्कीस-ब(दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, श्री देवीलाल धाकड पुत्र श्री जोंधराजजी धाकड, अधिवक्ता, तहसील भानपुरा, जिला मन्दसौर को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये मन्दसौर सत्र खण्ड के मन्दसौर राजस्व जिले के लिये एतद्द्वारा, अति. शासकीय अभिभाषक/अति. लोक अभियोजक, तहसील भानपुरा, जिला मन्दसौर नियुक्त करता है. यह नियुक्ति सामान्य पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताये किसी भी समय उन्हें कोई सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती है.

फा. क्र. 1(बी)-4-2004-इक्कीस-ब(दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, श्री सीताराम पाटीदार पुत्र श्री मोहनलालजी पाटीदार, अधिवक्ता, तहसील गरोठ, जिला मन्दसौर को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये मन्दसौर सत्र खण्ड के मन्दसौर राजस्व जिले के लिये एतद्द्वारा, अति. शासकीय अभिभाषक/अति. लोक अभियोजक, तहसील गरोठ, जिला मन्दसौर नियुक्त करता है. यह नियुक्ति सामान्य पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताये किसी भी समय उन्हें कोई सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती है.

फा. क्र. 1(बी)-4-2004-इक्कीस-ब(दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, श्री गणेश कुमार मोड पुत्र श्री फकीरचंद मोड, अधिवक्ता, जिला मन्दसौर को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये मन्दसौर सत्र खण्ड के मन्दसौर राजस्व जिले के लिये एतद्द्वारा, अति. शासकीय अभिभाषक/अति. लोक अभियोजक, जिला मन्दसौर नियुक्त करता है. यह नियुक्ति सामान्य पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताये किसी भी समय उन्हें कोई सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. खरे, उपसचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 13 अगस्त 2014

फा. क्र. 17(ई) 83/03-इक्कीस-ब(एक)-2347-2014.—विद्युत् अधिनियम, 2003 (2003 का संख्यांक 36) की धारा 153 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना एफ. क्रमांक 17(ई)83-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 16 सितम्बर 2010 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1, में दिनांक 24 सितम्बर 2010 में प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 47 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं :—

सारणी

अनुक्रमांक	सिविल जिले का नाम	विशेष न्यायालय का नाम	विशेष न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता (विद्युत् क्षेत्र के अनुसार)
(1)	(2)	(3)	(4)
"47	इन्दौर	अपर सेशन न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्रमांक 7.	इन्दौर शहर उत्तर संभाग, पश्चिम संभाग का विद्युत् क्षेत्र, पारेषण तथा वितरण संभाग, इंदौर एवं मुख्य सतर्कता अधिकारी से संबंधित समस्त मामले (महू तहसील को छोड़कर)".

F. No. 17(E)83-03-21-XXI-B(1)-2347-2014.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 153 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003), the State Government, with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh, hereby makes the following amendment's in this Department's Notification F. No. 17(E) 83-03-

XXI-B(1), dated 16th September 2010 which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-1, dated 24th September 2010:—

AMENDMENT

In the said notification, in the table, for serial number 47 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted namely :—

TABLE

S. No.	Name of the Civil District	Name of Special Court	Territorial jurisdiction of the Special Court (According to the Electricity Area)
(1)	(2)	(3)	(4)
"47	Indore	Additional Sessions Judge, Special Court No. 7.	Electricity area of North Division, West Division of Indore City. Transmission & Distribution division Indore & all cases related to Chief Vigilance Officer (excluding Tehsil of Mhow.)"

फा. क्र. 17(ई) 83/03-इक्कीस-ब(एक)-2347-2014.—विद्युत् अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 153 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना एफ. क्रमांक 17(ई)83-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 16 सितम्बर 2010 में, जो कि मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1, में दिनांक 24 सितम्बर 2010 में प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 47 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं:—

सारणी

क्रमांक	सिविल जिले का नाम	विशेष न्यायालय का नाम	विशेष न्यायालय के न्यायाधीश का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
47	इन्दौर	अपर सेशन न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्रमांक 7.	श्री राकेश कुमार (गुप्ता) अपर सेशन न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्रमांक 7.

F. No. 17(E)83-03-XXI-B(1)-2347-2014.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 153 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003), the State Government, with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh, hereby makes the following amendment's in this Department's Notification F. No. 17(E) 83-03-XXI-B(1), dated 16th September 2010, which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-1, dated 24th September 2010, namely:—

AMENDMENT

In the said notification, in the table, for serial numbers 47 and entries relating thereto the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted namely:—

TABLE

S. No.	Name of the Civil District	Name of Special Court	Name of the Judge of the Special Court
(1)	(2)	(3)	(4)
"47	Indore	Additional Sessions Judge, Special Court No. 7	Shri Rakesh Kumar (Gupta) Additional Sessions Judge, Special Court No. 7."

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. व्ही. सिरपुरकर, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 8 अगस्त 2014

फा. क्र. 17(ई) 43/2009-1481-इक्कीस-ब(एक).—ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 (2009 का 4) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्द्वारा इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17(ई)43-2009-2251-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 10 मई 2013 में निम्नलिखित संशोधन करता है :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 2, 4, 6, 15, 18, 25, 26, 33, 40, 48, 50, 53, 56, 61, 62, 63, 68, 73 एवं 74 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं अर्थात् :—

सारणी

अनुक्रमांक	न्यायाधिकारी का नाम	पदस्थापना का स्थान	सिविल जिले का नाम	मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत के लिए ग्राम न्याायलय का नाम	ग्राम न्यायालय के मुख्यालय का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	श्री प्रकाश डामोर, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1.	जोबट	अलीराजपुर	जोबट	जोबट
4.	श्री दीपक कावड़े, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 के अतिरिक्त न्यायाधीश.	कोतमा	अनूपपुर	कोतमा	कोतमा
6.	श्री संतोष कुमार कोल, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1.	चंदेरी	अशोकनगर	चंदेरी	चंदेरी
15.	श्रीमती प्राची पटैल, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2.	बुरहानपुर	बुरहानपुर	बुरहानपुर	बुरहानपुर
18.	श्री प्रकाश कसेर, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1.	छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा
25.	श्री पंकज जायसवाल, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2.	कन्नौद	देवास	कन्नौद	कन्नौद
26.	श्रीमती संगीता पटेल तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1.	धार	धार	धार	धार
33.	श्री अरविंद कुमार जैन, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 के अतिरिक्त न्यायाधीश.	डबरा	ग्वालियर	डबरा	डबरा
40.	श्री रविकांत सोलंकी, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश.	झाबुआ	झाबुआ	झाबुआ	झाबुआ
48.	कु. समीक्षा सिंह, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1.	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
50.	श्री अभिषेक गौड़, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 के अतिरिक्त न्यायाधीश.	नीमच	नीमच	नीमच	नीमच
53.	श्रीमती ऊषा तिवारी बेड़िया, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1	रायसेन	रायसेन	रायसेन	रायसेन
56.	श्री रितुराज सिंह चौहान, चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1.	रतलाम	रतलाम	रतलाम	रतलाम
61.	कु. श्वेता गोयल, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1.	खुरई	सागर	खुरई	खुरई
62.	श्रीमती कविता दीप खरे, षष्ठम् व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1.	सतना	सतना	सतना	सतना
63.	श्रीमती सिद्धी मिश्रा, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1.	नागौद	सतना	नागौद	नागौद
68.	श्रीमती निशा गुप्ता, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश.	शहडोल	शहडोल	शहडोल	शहडोल
73.	श्रीमती नीलू संजीव श्रृंगीरिषी, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2.	शिवपुरी	शिवपुरी	शिवपुरी	शिवपुरी
74.	श्री रतन कुमार वर्मा, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 के अतिरिक्त न्यायाधीश.	करेरा	शिवपुरी	करेरा	करेरा

F. No. 17(E)43-2009-1481-XXI-B(1)14.—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Gram Nyayalayas Act, 2008 (No. 4 of 2009), the State Government, in consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby makes the following amendment in this Department's Notification F. No. 17(E) 43-2009-2251-XXI-B(1), dated 10th May 2013, namely:—

AMENDMENT

In the said Notification, in the table, for serial number 2, 4, 6, 15, 18, 25, 26, 33, 40, 48, 50, 53, 56, 61, 62, 63, 68, 73 and 74 and entries relating thereto the following serial numbers and entries relating thereto, shall be substituted namely:—

TABLE

S.No.	Name of Nyayadhikari	Place of Posting	Name of Civil District	Name of Gram Nyayalaya for Panchayat at Intermediate level	Name of Headquarter of Gram Nyayalaya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	Shri Prakash Damor, Civil Judge, Class-I.	Jobat	Alirazpur	Jobat	Jobat
4.	Shri Deepak Kawde, Additional Judge to Civil Judge, Class-I.	Kotma	Anuppur	Kotma	Kotma

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6.	Shri Santosh Kumar Kaul, Civil Judge, Class-I.	Chanderi	Ashoknagar	Chanderi	Chanderi
15.	Smt. Prachi Patel, 1st Civil Judge, Class-II.	Burhanpur	Burhanpur	Burhanpur	Burhanpur
18.	Shri Prakash Kaser, IIrd Civil Judge, Class-I.	Chhindwara	Chhindwara	Chhindwara	Chhindwara
25.	Shri Pankaj Jaiswal, Civil Judge. Class-II.	Kannod	Dewas	Kannod	Kannod
26.	Smt. Sangeeta Patel, IIIrd Civil Judge, Class-I.	Dhar	Dhar	Dhar	Dhar
33.	Shri Arbind Kumar Jain, Additional Judge to Ist Civil Judge, Class-I.	Dabra	Gwalior	Dabra	Dabra
40.	Shri Ravikant Solanki, IInd Additional Judge to Ist Civil Judge, Class-II.	Jhabua	Jhabua	Jhabua	Jhabua
48.	Ku. Samikha Singh, IInd Civil Judge, Class-I.	Narsinghpur	Narsinghpur	Narsinghpur	Narsinghpur
50.	Shri Abhishek Gaud, Additional Judge to Civil Judge, Class-I.	Neemuch	Neemuch	Neemuch	Neemuch
53.	Smt. Usha Tiwari Bediya, IInd Civil Judge, Class-I.	Raisen	Raisen	Raisen	Raisen
56.	Shri Rituraj Singh Chouhan, IVth Civil Judge, Class-I.	Ratlam	Ratlam	Ratlam	Ratlam
61.	Ku. Shweta Goyal, IInd Civil Judge, Class-I.	Khurai	Sagar	Khuari	Khuari
62.	Smt. Kavita Deep Khare, VIth Civil Judge, Class-I.	Satna	Satna	Satna	Satna
63.	Smt. Siddhi Mishra, IInd Civil Judge, Class-I.	Nagod	Satna	Nagod	Nagod
68.	Smt. Nisha Gupta, 1st Additional Judge to Civil Judge, Class-I.	Shahdol	Shahdol	Shahdol	Shahdol
73.	Smt. Neelu Sanjeev Shringirishi, IIIrd Civil Judge, Class-II.	Shivpuri	Shivpuri	Shivpuri	Shivpuri
74.	Shri Ratan Kumar Verma, Additional Judge to Civil Judge, Class-I.	Karera	Shivpuri	Karera	Karera

फा. क्र. 1-1-88-इक्कीस-ब(एक)-2153-14.—भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का. 49) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 1-1-88-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 24 अक्टूबर 2009 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-1 में दिनांक 6 नवम्बर 2009 में प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है, यथा :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, अनुक्रमांक 30 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं:—

अनुसूची

अनुक्रमांक	सेशन न्यायाधीश/अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश	स्थानीय क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
30.	प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश, नीमच	नीमच

F. No. 1-1-88-XXI-B(1)-2153-014.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Prevention of Corruption Act, 1988 (No. 49 of 1988), the State Government, hereby, makes the following amendment in this Department Notifications F. No. 1-1-88-XXI-B(1), dated 24th October 2009, which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-1, dated 6th November 2009, namely:—

AMENDMENT

In the said Notification in the Schedule, for serial number 30 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted:—

SCHEDULE

S.No.	Sessions Judge/Additional Sessions Judge	Local Area
(1)	(2)	(3)
30	Ist Additional Sessions Judge, Neemuch.	Neemuch

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेन्द्र कुमार वर्मा, सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मंडी), जिला-डिण्डौरी, मध्यप्रदेश

डिण्डौरी, दिनांक 11 सितम्बर 2014

क्र. मंडी-निवा.-2014-15-604.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 की धारा 11 (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, छवि भारद्वाज, कलेक्टर डिण्डौरी मंडी अधिनियम की धारा 11 (1) (घ) के अनुक्रम में मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी (लोकसभा तथा विधान सभा सदस्य की मंडी समिति में सदस्यता तथा प्रतिनिधि का नाम निर्देशन) नियम 2010 के अन्तर्गत डिण्डौरी जिले की निम्नानुसार कृषि उपज मंडी समितियों के लिये एतद्द्वारा प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट करती हूं:—

क्रमांक	मंडी का नाम	नामनिर्दिष्ट सदस्यों का नाम एवं पता	मंडी अधिनियम की धारा
(1)	(2)	(3)	(4)
1	डिण्डौरी	श्री ओमकार मरकाम, विधायक, विधान सभा क्षेत्र, डिण्डौरी सिविल लाईन, डिण्डौरी.	धारा 11(1)(घ)
2	शहपुरा	श्री ओमप्रकाश धुर्वे, विधायक, विधान सभा क्षेत्र, शहपुरा सिविल लाईन, डिण्डौरी.	धारा 11(1)(घ)
3	गोरखपुर	श्री ओमकार मरकाम, विधायक, विधान सभा क्षेत्र, डिण्डौरी सिविल लाईन, डिण्डौरी.	धारा 11(1)(घ)

छवि भारद्वाज, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी.

राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 16 जून 2014

प्र. क्र. 03-अ-82-2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30, सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) की उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 की शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा 11 एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	छतरपुर	चन्द्रपुरा (पूरक)	0.500	भू-अर्जन अधिकारी, छतरपुर	ललितपुर-खजुराहो नई बड़ी रेल लाईन का निर्माण कार्य हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छतरपुर, दिनांक 3 सितम्बर 2014

प्र. क्र. 04-अ-82-भू-अर्जन-2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30, सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) की उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 की शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा 11 एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	छतरपुर	गौर	15.000	भू-अर्जन अधिकारी, छतरपुर	तरपेड़ बांध परियोजना की स्पिल चैनल हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छतरपुर, दिनांक 18 सितम्बर 2014

प्र. क्र. 7-अ-82-2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30, सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1)

के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (11 एवं 12) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	चंदला	परसनिया	0.020	भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व), लवकुशनगर.	सिंहपुर शाखा नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, लवकुशनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 8-अ-82-2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30, सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (11 एवं 12) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	लवकुशनगर	गुढ़ाखुर्द	0.130	भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व), लवकुशनगर.	सिंहपुर शाखा नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, लवकुशनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 9-अ-82-2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30, सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (11 एवं 12) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	लवकुशनगर	मड़वा	0.315	भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व), लवकुशनगर.	सिंहपुर शाखा नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, लवकुशनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 10-अ-82-2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30, सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (11 एवं 12) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	चंदला	भवानीपुर	0.105	भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व), लवकुशनगर.	सिंहपुर शाखा नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, लवकुशनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 11-अ-82-2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (11 एवं 12) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	लवकुशनगर	हरद्वार	0.151	भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व), लवकुशनगर.	सिंहपुर शाखा नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, लवकुशनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 12-अ-82-2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30, सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (11 एवं 12) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	लवकुशनगर	मढ़ा	0.099	भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व), लवकुशनगर.	सिंहपुर माईनर नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, लवकुशनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 13-अ-82-2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30, सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (11 एवं 12) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	लवकुशनगर	सिजई	0.122	भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व), लवकुशनगर.	सिंहपुर शाखा नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, लवकुशनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 14-अ-82-2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30, सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (11 एवं 12) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	लवकुशनगर	मुड़ेरी उत्तरी	0.474	भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व), लवकुशनगर.	सिंहपुर शाखा नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, लवकुशनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 15-अ-82-2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30, सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (11 एवं 12) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	चंदला	सलैया	0.563	भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व), लवकुशनगर.	सिंहपुर शाखा नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, लवकुशनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 16-अ-82-2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30, सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (11 एवं 12) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	चंदला	धरमपुर	2.086	भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व), लवकुशनगर.	सिंहपुर शाखा नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, लवकुशनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 17-अ-82-2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30, सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (11 एवं 12) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	लवकुशनगर	लवकुशनगर	1.236	भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व), लवकुशनगर.	सिंहपुर मुख्य नहर की देवपुर माईनर नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, लवकुशनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 18-अ-82-2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30, सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (11 एवं 12) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	लवकुशनगर	मुड़ेरी दक्षिणी	0.891	भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व), लवकुशनगर.	सिंहपुर शाखा नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, लवकुशनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 19-अ-82-2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30, सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (11 एवं 12) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	गोरिहार	कछार	3.753	भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व), लवकुशनगर.	सिंहपुर टेल माईनर नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, लवकुशनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 20-अ-82-2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (11 एवं 12) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	लवकुशनगर	जामुपुरा	2.608	भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व), लवकुशनगर.	सिंहपुर टेल माईनर नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, लवकुशनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 21-अ-82-2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (11 एवं 12) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	चंदला	शाहपुर	1.471	भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व), लवकुशनगर.	सिंहपुर टेल माईनर नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, लवकुशनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 22-अ-82-2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (11 एवं 12) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	लवकुशनगर	मदनपुरा	3.563	भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व), लवकुशनगर.	सिंहपुर टेल माईनर नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, लवकुशनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 23-अ-82-2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (11 एवं 12) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	गोरिहार	खेरा	0.125	भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व), लवकुशनगर.	सिंहपुर टेल माईनर नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, लवकुशनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 24-अ-82-2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (11 एवं 12) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	चंदला	बेड़ी	1.045	भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व), लवकुशनगर.	सिंहपुर टेल माईनर नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, लवकुशनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 25-अ-82-2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (11 एवं 12) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	लवकुशनगर	पुरवाबम्होरी	3.456	भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व), लवकुशनगर.	सिंहपुर टेल माईनर नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, लवकुशनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 26-अ-82-2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (11 एवं 12) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	गोरिहार	कुँवरपुर	2.823	भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व), लवकुशनगर.	सिंहपुर टेल माईनर नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, लवकुशनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मसूद अख्तर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 8 सितम्बर 2014

भू-अर्जन-प्र.क्र. एफ. . . . . 10-पत्र क्र. 416-भू-अर्जन-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5)

में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा लगभग (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	नागौद	उमरहट	0.345	कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. सेतु निर्माण संभाग रीवा, जिला रीवा, म.प्र.	बरेठिया उमरहट, मसनहा मार्ग में सतना नदी पर पुल पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र.क्र. एफ. . . . . 10-पत्र क्र. 417-भू-अर्जन-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा लगभग (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	नागौद	वसुधा	0.035	कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. सेतु निर्माण संभाग रीवा, जिला रीवा, म.प्र.	बरेठिया बसुधा कतकोन मार्ग में अमरन नदी पर पुल पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र.क्र. एफ. . . . . 10-पत्र क्र. 418-भू-अर्जन-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हेक्टर में) लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	नागौद	कतकोनकला	0.070	कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. सेतु निर्माण संभाग रीवा, जिला रीवा, म.प्र.	बरेठिया बसुधा कतकोन मार्ग में अमरन नदी पर पुल पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मोहनलाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 11 सितम्बर 2014

क्र. 352-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा (12) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि बनकुइयां फीडर कैनाल योजना के नहर निर्माण का कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है. अब केवल छूटे हुए आंशिक रकबे का ही अर्जन किया जा रहा है, इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण की आवश्यकता नहीं है, और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 की धारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हुजूर	बिहरा	0.351	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रीवा (म.प्र.).	बनकुइयां फीडर कैनाल योजना के नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कॉलम (5) में दर्शित अधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(3) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—जल संसाधन संभाग, रीवा के अंतर्गत बनकुइयां फीडर कैनाल योजना के नहर निर्माण.

(4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 16 सितम्बर 2014

क्र. 356-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा (12) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि नन्दनपुर तालाब योजना के नहर निर्माण का कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है. अब केवल छूटे हुए आंशिक रकबे का ही अर्जन किया जा रहा है, इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण की आवश्यकता नहीं है, और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 की धारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मऊगंज	अमोखर	0.058	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रीवा (म.प्र.).	नन्दनपुर तालाब योजना के नहर निर्माण का कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कॉलम (5) में दर्शित अधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(3) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—जल संसाधन संभाग, रीवा के अंतर्गत नन्दनपुर तालाब योजना के नहर निर्माण का कार्य.

(4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 357-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि बमरहा तालाब निर्माण का कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है. अब केवल छूटे हुए आंशिक रकबे का ही अर्जन किया जा रहा है, इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण की आवश्यकता नहीं है, और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हनुमना	पटेहरा	35.321	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रीवा (म.प्र.).	बमरहा तालाब निर्माण में डूब में आने के कारण.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कॉलम (5) में दर्शित अधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(3) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—जल संसाधन संभाग, रीवा के अंतर्गत बमरहा बांध योजना का निर्माण कार्य.

(4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राहुल जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 12 सितम्बर 2014

प्र. क्र. 022-अ-82-वर्ष 2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	पवई	मुरकुछू	निजी भूमि रकबा 7.92 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.11 हे. कुल रकबा 8.03 हे.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई.	पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 021-अ-82-वर्ष 2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	शाहनगर	शाहपुर कलां	निजी भूमि रकबा 36.79 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 44.31 हे. कुल रकबा 81.10 हे.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई.	पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत शीर्ष कार्य निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 003-अ-82-वर्ष 2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	पन्ना	जनकपुर	निजी भूमि रकबा 1.425 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.000 हे. कुल रकबा 1.425 हे.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	जनकपुर तालाब योजना अंतर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र कुमार मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बैतूल, दिनांक 3 सितम्बर 2014

प्र. क्र. 56 अ-82- वर्ष 2011-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बैतूल
(ख) तहसील—मुलताई
(ग) नगर/ग्राम—करजगांव, पटवारी हल्का नं. 12
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.772 हेक्टर.

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
137	0.015
168/2	0.007
136/1	0.120
216	0.036
57/2	0.070
128	0.060
123/1	0.095
120/1	0.015
120/4	0.022
168/1	0.137
159/4	0.112
218	0.078
123/2	0.008
57/4	0.011
129/2	0.044
171	0.354
120/2	0.016
170/1	0.157
130/2	0.098
136/2	0.106
57/3	0.025
122	0.031
130/1	0.050
220	0.095
120/3	0.010
योग . .	1.772

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—मुलताई-पिसाटा-बिरूल मार्ग निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 7 अ-82 वर्ष 2013-14-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बैतूल
(ख) तहसील—भैंसदेही
(ग) नगर/ग्राम—डोडाजाम, पटवारी हल्का नं. 5
(घ) लगभग क्षेत्रफल—5.536 हेक्टर.

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
100/1 प 100/1 भ 100/1 की	0.482
38/4 ङ्ग	0.294
38/3 ङ्ग	0.293
100/2 कु	0.101

(1)	(2)
100/1 के	0.202
100/1 फ 100/1 स	0.523
100/2 प 100/2 भ 100/2 की	0.841
38/1 ङ्ग	0.293
69	0.908
100/3 कु	0.061
77	0.121
102/2	0.009
100/4 प 100/4 भ 100/4 की	0.842
38/2 ङ्ग	0.293
100/1 ट	0.081
100/4 कु	0.081
55,56	0.010
100/1 ग	0.101
योग . .	5.536

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—डोडाजाम जलाशय, स्पील चेनल एवं नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी भैंसदेही के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 9 अ-82 वर्ष 2012-13-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बैतूल
(ख) तहसील—आठनेर
(ग) नगर/ग्राम—मांढवी, पटवारी हल्का नं. 54
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.285 हेक्टर.

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
257	0.040
158/3	0.030
266	0.035
267/1	0.040
171/1	0.080
272/1	0.040
272/6	0.040
258/2	0.020
260/1	0.210
267/3	0.010
268	0.120
261/2	0.050
272/4	0.020
272/2	0.100
258/1	0.110
265	0.010
267/2	0.060
269	0.130
272/3	0.060
272/5	0.040
260/2	0.040
योग . .	1.285

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—ढ़ोडखेड़ा-सावंगी-गुनखेड़ मार्ग निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी भैंसदेही के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ./स.) संभाग बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 11 अ-82 वर्ष 2012-13-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की

धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बैतूल
(ख) तहसील—आठनेर
(ग) नगर/ग्राम—सावंगी, पटवारी हल्का नं. 53
(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.383 हेक्टर.

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
18	0.090
21	0.024
19/4	0.014
22/2	0.031
38/4	0.040
37/1	0.032
35/2	0.101
35/1	0.010
19/1	0.024
19/3	0.024
21/3	0.024
22/3	0.036
38/1	0.024
36/2	0.150
35/3	0.050
75	0.104
19/2	0.010
21/2	0.029
21/4	0.024
32/1	0.070
39/3	0.002
35/5	0.034
35/6	0.025
73/1	0.069
72/2	0.053
195	0.110
272/1	0.052
285	0.061
270	0.049
295/2	0.015
244/2	0.061
240	0.210
287/1	0.049
288	0.049
64/1	0.022
267	0.010
231/3	0.010
72/1	0.049
264	0.053
281	0.089
254	0.024
233	0.065
242	0.080
283	0.056
241/1	0.085
287/2	0.053
65/2	0.065
64/2	0.009
268	0.046
76	0.025
269	0.029
249	0.075
286	0.065
295/1	0.012
244/1	0.015
239/3	0.340
241/2	0.140
282	0.030
66/2	0.040
266	0.046
255	0.100
योग . .	3.383

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—ढ़ोडखेड़ा-सावंगी-गुनखेड़ मार्ग निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी भैंसदेही के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ./स.) संभाग बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 12 अ-82 वर्ष 2012-13-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बैतूल
(ख) तहसील—गुनखेड़
(ग) नगर/ग्राम—ढोंडखेड़ा, पटवारी हल्का नं. 53
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.510 हेक्टर.

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
302/1	0.130
299/3	0.020
293	0.003
69/1	0.150
70/1	0.450
55	0.105
66/5	0.092
64/2	0.170
67/3	0.410
294	0.022
69/3	0.120
29	0.180
56	0.105
67/7	0.020
67/5	0.100
295	0.140
68	0.020
69/4	0.060
30	0.065
57	0.190
66/2	0.008
योग . .	2.510

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—ढ़ोडखेड़ा-सावंगी-गुनखेड़ मार्ग निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी भैंसदेही के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ./स.) संभाग बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

बैतूल, दिनांक 11 सितम्बर 2014

प्र. क्र. 10 अ-82 वर्ष 2012-13-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बैतूल
(ख) तहसील—आठनेर
(ग) नगर/ग्राम—ढोंडखेड़ा, पटवारी हल्का नं. 53
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.420 हेक्टर.

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
77/3	0.060
65/2	0.060
168	0.200
174	0.115
65/1	0.048
77/2	0.110
165	0.080
171	0.130
175/1	0.110
65/3	0.300
163/2	0.045
166	0.150
173	0.002
163/1	0.008
167	0.002
योग . .	1.420

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—ढ़ोडखेड़ा-सावंगी-गुनखेड़ मार्ग निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी भैंसदेही के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ./स.) संभाग बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश प्रसाद मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 11 सितम्बर 2014

पत्र क्र. 351-भू-अर्जन-2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की सारणी के कालम (2) में वर्णित भूमि अनुसूची की सारिणी के कालम (3) में उल्लेखित भूमि के रकबे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकारी अधिनियम, 2013 की धारा 19 उपधारा 4क अंतर्गत एतद्द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शास. भूमि की आवश्यकता लोक परियोजन के लिए है. चूंकि, रतहरा-सिलपरा रिंग रोड का कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है, अब ग्राम रतहरी में निर्माणाधीन टोल पलाजा की संरचना में तकनीकी कारणों से परिवर्तन की आवश्यकता होने से राजपत्र दिनांक 20 जून 2014 में प्रकाशित आराजी के कुछ रकबा में कमी की गई है, अब केवल छूट हुए आंशिक रकबे का ही अर्जन किया जा रहा है. इस कारण अधिनियम के उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है. तदानुसार अशुद्ध प्रकाशन 'क' के स्थान पर शुद्ध प्रकाशन 'ख' पढ़ा जाए :—

संशोधित अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा (म. प्र.)
(ख) तहसील—हुजूर
(ग) ग्राम—रतहरी
(घ) क्षेत्रफल लगभग —0.616 हे.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
अशुद्ध प्रकाशन 'क'	
201	0.063
340	0.061
343/2	0.012
344	0.007
355/3	0.005
355/3/1	0.004
353/1	0.002
355/9	0.009
374	0.065
375	0.014
377	0.346
381	0.040
योग . .	0.628
शुद्ध प्रकाशन 'ख'	
201	0.036
340	0.061
343/2	0.012
344	0.007
355/3	0.005
355/3/1	0.004
355/10	0.010
353/1	0.002
355/9	0.009
376	0.260
377	0.190
381	0.014
योग . .	0.616

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—रीवा रिंग रोड के फोरलेन निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय संभागीय प्रबंधक, म. प्र. सड़क विकास निगम संभाग क्र. 2, रीवा में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राहुल जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला आगर मालवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

आगर मालवा, दिनांक 13 सितम्बर 2014

क्र. 156-भू-अर्जन-2014-क्र. 117-प्रका.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया

है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—आगर मालवा
(ख) तहसील—बडौद
(ग) ग्राम—आमलिया
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.500 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अर्जनीय रकबा (हे. में)
(1)	(2)
214/1	0.056
258/2/1	0.010
33	0.050
11/1	0.008
11/2	0.052
11/3	0.004
9	0.064
8	0.026
7/5	0.090
5/3	0.070
5/4	0.070
योग	. . 0.500

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—कछाल मध्यम तालाब परियोजना की बांई नहर निर्माण के अन्तर्गत आने वाली निजी भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर आगर मालवा में व अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी आगर-बडौद के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 157-भू-अर्जन-2014-क्र. 92-प्रका.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—आगर मालवा
(ख) तहसील—बडौद
(ग) ग्राम—आसंध्या
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.020 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अर्जनीय रकबा (हे. में)
(1)	(2)
160	0.020
योग	. . 0.020

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—कछाल मध्यम तालाब परियोजना की बांई नहर निर्माण के अन्तर्गत आने वाली निजी भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर आगर मालवा में व अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी आगर-बडौद के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 158-भू-अर्जन-2014-क्र. 96-प्रका.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—आगर मालवा
(ख) तहसील—बडौद

(ग) ग्राम—मदकोटा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.217 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अर्जनीय रकबा (हे. में)
(1)	(2)
1438/3	0.045
1978/4	0.004
2050	0.008
1286/5	0.015
2026	0.050
1914	0.050
1936/1	0.013
1936/2	0.016
1936/3	0.016
योग . .	0.217

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—कछाल मध्यम तालाब परियोजना की बांई नहर निर्माण के अन्तर्गत आने वाली निजी भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर आगर मालवा में व अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी आगर-बडौद के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 159-भू-अर्जन-2014-क्र. 91-प्रका.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—आगर मालवा

(ख) तहसील—बडौद

(ग) ग्राम—सांगाखेडी

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.55 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अर्जनीय रकबा (हे. में)
(1)	(2)
477	0.20
478	0.25
479	0.04
512/14	0.04
512/15	0.02
योग . .	0.55

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—कछाल मध्यम तालाब परियोजना के बांध निर्माण से डूब में प्रभावित होने से निजी भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर आगर मालवा में व अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी आगर-बडौद के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 160-भू-अर्जन-2014-क्र. 98-प्रका.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—आगर मालवा

(ख) तहसील—बडौद

(ग) ग्राम—बेहका

(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.41 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अर्जनीय रकबा (हे. में)
(1)	(2)
479	1.00
737	0.13
399	0.07
462	0.12
546	0.29
400	0.07
409/4	0.04

(1)	(2)
409/3	0.03
554	0.14
362	0.14
379	0.04
553	0.17
834	0.17
योग . .	2.41

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—कछाल मध्यम तालाब परियोजना के बांध निर्माण से डूब में प्रभावित होने से निजी भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर आगर मालवा में व अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी आगर-बडौद के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 161-भू-अर्जन-2014-क्र. 95-प्रका.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—आगर मालवा
(ख) तहसील—बडौद
(ग) ग्राम—पिपल्याहमीर
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.230 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अर्जनीय रकबा (हे. में)
(1)	(2)
385/1048	0.16
80/1050	0.07
योग . .	0.23

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—कछाल मध्यम तालाब परियोजना के बांध निर्माण से डूब में प्रभावित होने से निजी भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर आगर मालवा में व अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी आगर-बडौद के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 162-भू-अर्जन-2014-क्र. 97-प्रका.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—आगर मालवा
(ख) तहसील—बडौद
(ग) ग्राम—मूंदपुरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.45 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अर्जनीय रकबा (हे. में)
(1)	(2)
44	0.14
45	0.07
86	0.24
योग . .	0.45

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—कछाल मध्यम तालाब परियोजना के बांध निर्माण से डूब में प्रभावित होने से निजी भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर आगर मालवा में व अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी आगर-बडौद के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 163-भू-अर्जन-2014-क्र. 93-प्रका.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार

अधिनियम, 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—आगर मालवा
(ख) तहसील—बडौद
(ग) ग्राम—छायन
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.82 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अर्जनीय रकबा (हे. में)
(1)	(2)
253	0.06
378/1	0.04
378/2	0.03
378/3	0.01
378/4	0.01
379	0.04
380	0.21
584	0.16
630	0.01
632	0.17
637	0.05
638	0.03
योग	. . 0.82

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—कछाल मध्यम तालाब परियोजना के बांध निर्माण से डूब में प्रभावित होने से निजी भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर आगर मालवा में व अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी आगर-बडौद के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 164-भू-अर्जन-2014-क्र. 94-प्रका.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—आगर मालवा
(ख) तहसील—बडौद
(ग) ग्राम—मदकोटा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.610 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अर्जनीय रकबा (हे. में)
(1)	(2)
123	0.080
124	0.140
2084	0.320
2085	0.070
योग	. . 0.610

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—कछाल मध्यम तालाब परियोजना के बांध निर्माण से डूब में प्रभावित होने से निजी भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर आगर मालवा में व अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी आगर-बडौद के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 165-भू-अर्जन-2014-क्र. 116-प्रका.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—आगर मालवा
(ख) तहसील—बडौद
(ग) ग्राम—बनोठीखुर्द
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.013 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अर्जनीय रकबा (हे. में)
(1)	(2)
392	0.013
योग	. . 0.013

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—कछाल मध्यम तालाब परियोजना की बाईं नहर निर्माण के अन्तर्गत आने वाली निजी भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर आगर मालवा में व अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी आगर-बडौद के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विनोद कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 16 सितम्बर 2014

प्र. क्र. 03 अ-82- वर्ष 2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके लिये यह घोषणा किया है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—निजी भूमि

(क) जिला—छतरपुर
(ख) तहसील—राजनगर
(ग) नगर/ग्राम—बसारी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.430 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
1089	0.430

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—ललितपुर-सिंगरौली (खजुराहो) नई बड़ी रेल लाईन निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर भू-अर्जन कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मसूद अख्तर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

राजगढ़ (ब्यावरा) दिनांक 18 सितम्बर 2014

क्र. 6794-95-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन (टाण्डी तालाब के डूब क्षेत्र एवं नहर निर्माण में शेष प्रभावित भूमि) के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—राजगढ़
(ख) तहसील—राजगढ़
(ग) ग्राम—नोगांव एवं टाण्डीखुर्द
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.712 हेक्टेयर.

सर्वे नं.	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि	
ग्राम—नोगांव	**क्षेत्रफल**
28 में से	0.406
49/4	0.207
49/5	0.207
51	0.134
50/1	0.085
59/5	0.065
50/2	0.085
59/6	0.055
50/3	0.085
59/7	0.065
59/4	0.040
योग . .	1.434
नहर निर्माण में शेष प्रभावित भूमि	
ग्राम—टाण्डीखुर्द,	**क्षेत्रफल**
284/1	0.058
326/1	0.020
375/1	0.072
370	0.070
327	0.058
योग . .	0.278

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—टाण्डी तालाब के डूब क्षेत्र एवं नहर निर्माण में शेष प्रभावित भूमि हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 6802-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन (जूनापानी तालाब के बांध में प्रभावित भूमि के पूरक प्रकरण) के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—राजगढ़
(ख) तहसील—जीरापुर
(ग) ग्राम—पीपल्या बीजारेल
(घ) लगभग क्षेत्रफल—12.817 हेक्टेयर.

सर्वे नं.	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
79	0.199
89/3	0.226
88/1/3	1.068
92/1/2, 93/1/2	0.300
92/1/3, 93/1/3	0.300
86/1/7	0.050
86/2/3	0.200
72/13/1	0.225
94/1	0.911
90/1/1	0.070
80	2.314
92/2, 93/2	0.302
85/1/2	0.435
87	0.759
88/1/2	0.140
89/1	0.100
92/1/4, 93/1/4	0.500
86/2/2	0.050
72/12/1	0.708
72/19	0.250
94/2	0.911
89/2	0.060
98/3	0.506
86/1/2	0.300
92/1/1, 93/1/1	0.080
90/2	0.100
90/3	0.100
86/1/6	0.100
86/2/1	0.125
72/12/2	0.708
72/20	0.220
96/2	0.275
88/1/1	0.100
90/1/2	0.125
योग . .	12.817

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—जूनापानी तालाब के बांध में प्रभावित भूमि के पूरक प्रकरण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खिलचीपुर-जीरापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 6806-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन (बिलोड़ा तालाब के नहर में प्रभावित भूमि के पूरक प्रकरण) के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—राजगढ़
(ख) तहसील—जीरापुर
(ग) ग्राम—लक्ष्मीपुरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.170 हेक्टेयर.

सर्वे नं.	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
20/2/2	0.050
20/2/1	0.120
योग . .	0.170

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बिलोड़ा तालाब की नहर में प्रभावित भूमि के पूरक प्रकरण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खिलचीपुर-जीरापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आनन्द कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 28 अगस्त 2014

प्र. क्र. 126-अ-82-वर्ष 2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—पन्ना

(ख) तहसील—शाहनगर

(ग) ग्राम—रंगौली

(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.70 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
1993	0.01	निजी भूमि
1682	0.02	निजी भूमि
113	0.01	निजी भूमि
111	0.01	निजी भूमि
104	0.02	निजी भूमि
1965/1/(क)1	0.02	निजी भूमि
1965/1/(ख)1	0.04	निजी भूमि
2043	0.06	निजी भूमि
1994	0.02	निजी भूमि
1975	0.15	निजी भूमि
1973	0.04	निजी भूमि
1956	0.02	निजी भूमि
1954	0.01	निजी भूमि
1955	0.02	निजी भूमि
1936	0.02	निजी भूमि
1912	0.04	निजी भूमि
1913	0.01	निजी भूमि
1890	0.02	निजी भूमि
1889	0.01	निजी भूमि
1675	0.01	निजी भूमि
1870	0.01	निजी भूमि
1871	0.03	निजी भूमि
1826	0.04	निजी भूमि
1827	0.01	निजी भूमि
1818	0.01	निजी भूमि
1819	0.03	निजी भूमि
1801	0.08	निजी भूमि
1800	0.01	निजी भूमि
157	0.02	निजी भूमि
1802	0.01	निजी भूमि
1804	0.02	निजी भूमि
1793	0.03	निजी भूमि
1794	0.02	निजी भूमि
1783	0.05	निजी भूमि
1753	0.01	निजी भूमि
1754	0.01	निजी भूमि
1806	0.03	निजी भूमि
1671	0.01	निजी भूमि
1670	0.05	निजी भूमि
138/1	0.01	निजी भूमि
1805	0.04	निजी भूमि
101	0.01	निजी भूमि
103	0.01	निजी भूमि
233	0.01	निजी भूमि
297	0.03	निजी भूमि
1695	0.01	निजी भूमि
140	0.01	निजी भूमि
1703	0.02	निजी भूमि
1755	0.03	निजी भूमि
1744	0.05	निजी भूमि
1674	0.06	निजी भूमि
1737	0.05	निजी भूमि
1721	0.01	निजी भूमि
1710	0.04	निजी भूमि
1714	0.03	निजी भूमि
1731	0.04	निजी भूमि
1965/1/ग	0.08	निजी भूमि
2257/2	0.12	निजी भूमि
कुल रकबा निजी भूमि	1.70	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—भर्रा तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, शाहनगर के न्यायालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 120-अ-82-वर्ष 2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—पन्ना
(ख) तहसील—पवई
(ग) ग्राम—कुडगवां
(घ) लगभग क्षेत्रफल—27.22 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
29	0.40	निजी भूमि
112	1.26	निजी भूमि
105	0.18	निजी भूमि
118	0.25	निजी भूमि
163/2	0.35	निजी भूमि
172	0.75	निजी भूमि
129/2	0.46	निजी भूमि
157/2	0.08	निजी भूमि
107	0.11	निजी भूमि
108	0.33	निजी भूमि
110	0.12	निजी भूमि
167	0.29	निजी भूमि
100	0.34	निजी भूमि
30	0.30	निजी भूमि
101	0.10	निजी भूमि
104	0.10	निजी भूमि
124	0.07	निजी भूमि
114	0.65	निजी भूमि
117	0.25	निजी भूमि
120	0.04	निजी भूमि
121	0.14	निजी भूमि
122	0.20	निजी भूमि
125	0.28	निजी भूमि
163/1	0.85	निजी भूमि
33	0.60	निजी भूमि
55	0.15	निजी भूमि
102	0.16	निजी भूमि
119	0.20	निजी भूमि
165	0.04	निजी भूमि
168	0.70	निजी भूमि
174	0.78	निजी भूमि
170	0.72	निजी भूमि
171	0.47	निजी भूमि
173/2	0.70	निजी भूमि
173/1	0.68	निजी भूमि
175	0.45	निजी भूमि
177	0.78	निजी भूमि
179	0.17	निजी भूमि
445	0.76	निजी भूमि
178/1	0.72	निजी भूमि
178/2	0.72	निजी भूमि
443	0.26	निजी भूमि
444	0.13	निजी भूमि
447	0.35	निजी भूमि
450/1	0.32	निजी भूमि
450/2	0.20	निजी भूमि
451/1	0.12	निजी भूमि
451/2	0.12	निजी भूमि
32	0.15	निजी भूमि
27	0.33	निजी भूमि
22	0.10	निजी भूमि
20	0.02	निजी भूमि
21	0.20	निजी भूमि
17	0.89	निजी भूमि
18	0.06	निजी भूमि
11	0.69	निजी भूमि
13	0.48	निजी भूमि
19	0.18	निजी भूमि
12	0.18	निजी भूमि
6	0.20	निजी भूमि
16	0.88	निजी भूमि
15	0.10	निजी भूमि
2	0.51	निजी भूमि
26	0.25	निजी भूमि
24	0.35	निजी भूमि
35	0.64	निजी भूमि
34	0.66	निजी भूमि
126	0.06	निजी भूमि
127	0.72	निजी भूमि
128	0.07	निजी भूमि
129/1	0.10	निजी भूमि
157/3	0.08	निजी भूमि
130	0.11	निजी भूमि
157/1	0.08	निजी भूमि
131	0.14	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)
132	0.10	निजी भूमि
10	0.22	निजी भूमि
23	0.23	निजी भूमि
8	0.02	निजी भूमि
9	0.09	निजी भूमि
54	0.05	निजी भूमि
349/2	0.03	निजी भूमि
164	0.05	निजी भूमि
कुल रकबा निजी भूमि	27.22	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—पटना तालाब योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पन्ना के न्यायालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र कुमार मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दमोह, दिनांक 12 सितम्बर 2014

पत्र क्र. क. भू.अ.वि.अ.-2014-15.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि, सम्पत्ति की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—अशासकीय भूमि का अर्जन

(क) जिला—दमोह
(ख) तहसील—बटियागढ़
(ग) ग्राम—बटियागढ़
(घ) लगभग क्षेत्रफल—6.21 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
308/1.2.3	0.40
309	0.40
310	0.10
311	0.06
317/2	0.02
318/1	0.22
318/2	0.22
384	0.12
385	0.27
388/1	0.40
387	0.05
389	0.59
390	0.50
404	0.29
405	0.15
407	0.15
406	0.42
411	0.20
412/1	0.05
412/2	0.05
412/3	0.05
412/4	0.04
413/1	0.06
413/2	0.07
414	0.11
416	0.07
417	0.19
436	0.09
419	0.09
420	0.10
427	0.34
428	0.34
कुल योग . .	6.21

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—दमोह बटियागढ़-बक्सवाहा-हीरापुर मार्ग के बटियागढ़ बाईपास मार्ग का निर्माण कार्य.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पथरिया एवं संभागीय प्रबंधक म. प्र. रोड डेव्हलपमेन्ट कार्पोरेशन लि., सागर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
स्वतंत्र कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 22 सितम्बर 2014

क्र. 7551-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील—छिन्दवाड़ा

(ग) नगर/ग्राम—ग्राम-पुलपुलडोह, प.ह.नं. 55, ब.नं. 347, रा.नि.मंडल-छिन्दवाड़ा-1

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल 01.956 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर (1)	प्रस्तावित रकबा (हे. में) (2)
483	0.098
484	0.296
486/1	0.092
511/1	0.044
486/2	0.032
511/2	0.052
511/3	0.016
514/1	0.036
512	0.008
509/4	0.365
509/3	0.186
508	0.566
506	0.165
योग . .	01.956

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत दांयी तट नहर से निकलने वाली टेल वितरक नहर के निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, तहसील छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-02 सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 7552-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील—छिन्दवाड़ा

(ग) नगर/ग्राम—ग्राम-सुनारी मोहगांव, प.ह.नं. 68, ब.नं. 580, रा.नि.मंडल-छिन्दवाड़ा-1

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल 01.327 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर (1)	प्रस्तावित रकबा (हे. में) (2)
33/1	0.124
33/2	0.122
30/1	0.354
29	0.200
30/2	0.148
109	0.016
104/1	0.124
104/2	0.070
103	0.169
योग . .	01.327

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत दांयी तट नहर से निकलने वाली टेल वितरक नहर के निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, तहसील छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-02 सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 7553-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील—छिन्दवाड़ा

(ग) नगर/ग्राम—ग्राम-धमनिया, प.ह.नं. 57, ब.नं. 281, रा.नि.मंडल-छिन्दवाड़ा-1

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल 02.054 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
84/5	0.188
55/15	0.092
55/13	0.068
55/14	0.063
54/4	0.019
55/12	0.052
55/11	0.078
55/10	0.145
60/5	0.009
62/1	0.097
61/1	0.127
63/1	0.147
74/1	0.142
75/1	0.020
68/1	0.100
68/3	0.300
69/1	0.354
69/2	0.035
55/1	0.018
योग . .	02.054

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत दांयी तट नहर से निकलने वाली टेल वितरक नहर के निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

न (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-02 सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 7554-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत,

इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील—छिन्दवाड़ा
(ग) नगर/ग्राम—ग्राम-सुसरई, प.ह.नं. 59, ब.नं. 582, रा.नि.मंडल-छिन्दवाड़ा-1
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल 03.489 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर (1)	प्रस्तावित रकबा (हे. में) (2)
149	0.322
146/1	0.238
148/1	0.132
148/2	0.131
157	0.288
181/2	0.025
182	0.310
183/3	0.022
180/4	0.256
176/1	0.167
175/1	0.078
175/2	0.072
172/2	0.104
172/3	0.077
172/1	0.077
172/4	0.071
171/5	0.111
171/6	0.058
171/3	0.052
171/2	0.071
171/1	0.058
168/4	0.120
168/6	0.114
168/13	0.097
82/3	0.254
75/2	0.049
79	0.087
75/1	0.048
योग . .	03.489

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत दांयी तट नहर से निकलने वाली टेल वितरक नहर के निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-02 सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 7555-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील—छिन्दवाड़ा
(ग) नगर/ग्राम—ग्राम-भाजीपानी कला, प.ह.नं. 68, ब.नं. 427, रा.नि.मंडल-छिन्दवाड़ा-1
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल 03.195 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर (1)	प्रस्तावित रकबा (हे. में) (2)
201	0.427
202/4	0.178

(1)	(2)
202/3	0.090
202/1	0.192
196/1	0.126
196/2	0.174
122/1	0.046
122/2	0.077
117	0.050
116/1	0.075
116/3	0.048
115	0.092
41	0.135
113	0.004
40	0.208
88/3	0.147
88/2	0.134
88/1	0.135
87/7	0.039
87/1	0.096
87/6	0.039
87/3	0.076
87/5	0.047
87/2	0.072
87/4	0.129
86/8	0.027
86/5	0.027
86/1	0.143
86/9	0.027
86/7	0.027
86/6	0.027
86/2	0.027
86/4	0.027
86/3	0.027
योग . .	03.195

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत दांयी तट नहर से निकलने वाली टेल वितरक नहर के निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-02 सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 7556-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील—छिन्दवाड़ा

(ग) नगर/ग्राम—ग्राम-धगड़िया, प.ह.नं. 60,
ब.नं. 278,
रा.नि.मंडल-छिन्दवाड़ा-1

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल 03.519 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर (1)	प्रस्तावित रकबा (हे. में) (2)
278/1	0.378
278/2	0.004
267/3	0.188
280	0.420
282	0.104
281	1.355
283/1	0.082
284/1	0.034
284/2	0.016
287/2	0.048
287/1	0.032

(1)	(2)
311/5	0.040
313	0.296
314/3-4-6	0.498
315	0.024
योग . .	03.519

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत दांयी तट नहर से निकलने वाली टेल वितरक नहर के निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-02 सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 7557-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील—छिन्दवाड़ा
(ग) नगर/ग्राम—ग्राम-थावरीकला, प.ह.नं. 66, ब.नं. 256, रा.नि.मंडल-छिन्दवाड़ा-1

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल 03.926 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर (1)	प्रस्तावित रकबा (हे. में) (2)
74	0.150
77/3	0.092
77/1	0.151
77/4	0.066
77/2	0.152
58	0.022
92	0.154
51	0.011
52	0.052
53	0.134
50	0.034
373	0.186
393	0.254
394/2	0.280
394/1	0.190
449/1	0.120
449/2	0.144
449/3	0.064
449/4	0.081
391/1	0.124
459	0.300
458	0.090
389/1	0.073
389/2	0.121
387	0.010
388	0.251
384	0.015
385	0.360
461	0.128
463/2	0.117
योग . .	03.926

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत दांयी तट नहर से निकलने वाली टेल वितरक नहर के निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-02 सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 7558-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील—छिन्दवाड़ा

(ग) नगर/ग्राम—ग्राम-सोनापिपरी, प.ह.नं. 57, ब.नं. 592, रा.नि.मंडल-छिन्दवाड़ा-1

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल 03.187 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
98/1	0.135
94/1	0.352
91/1	0.386
90/1	0.668
85/12	0.286
85/25	0.040
85/23	0.056
85/24	0.011
52/15	0.134
52/10	0.267
52/11	0.300
68/1	0.150
68/2	0.150
69/1-2	0.252
योग . .	03.187

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत दांयी तट नहर से निकलने वाली टेल वितरक नहर के निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-02 सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 7580-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत,

इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील—छिन्दवाड़ा
(ग) नगर/ग्राम—ग्राम-कुहिया, प.ह.नं. 67, ब.नं. 70, रा.नि.मंडल-छिन्दवाड़ा-1
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल 03.435 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर (1)	प्रस्तावित रकबा (हे. में) (2)
115/2	0.073
116/2	0.093
117/2	0.099
122/2	0.044
115/1	0.020
116/1	0.010
122/1	0.476
107	0.264
106	0.266
57/3	0.108
56	0.108
30	0.192
54/2	0.072
55/2	0.056
55/1	0.052
54/1	0.066
46	0.064
47	0.010
45	0.206
48/1	0.284
48/3	0.106
31	0.096
29/1	0.050
29/2	0.040
29/3	0.028
28/1	0.020
51/3	0.072
10	0.004
69/1	0.068
28/2	0.050
51/4	0.127
69/2	0.024
51/5	0.023
69/3	0.060
74/6	0.100
67	0.004
योग . .	03.435

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत दांयी तट नहर से निकलने वाली टेल वितरक नहर के निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-02 सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
महेशचन्द्र चौधरी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश एवं अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 12 सितम्बर 2014

क्र. A-3260-चार-8-42-77-भाग पन्द्रह.—श्री आनन्द जाम्भूलकर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैतूल को दिनांक 15 सितम्बर 2014 से 18 अक्टूबर 2014 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चौंतीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 13 से 14 सितम्बर 2014 तक के एवं पश्चात में दिनांक 19 से 26 अक्टूबर 2014 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटाने पर श्री आनन्द जाम्भूलकर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैतूल को बैतूल पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आनन्द जाम्भूलकर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के पद पर कार्यरत रहते.

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
व्ही. बी. सिंह, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 1 सितम्बर, 2014

क्र. 1061-गोपनीय-2014-II-2-36-61(Part-VI).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश एतद्द्वारा मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 1994 के नियम 9 (घ) के अंतर्गत निम्नलिखित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी को उच्चतर न्यायिक सेवा में स्थायी पद उपलब्ध न होने के कारण इस आशय का प्रमाण-पत्र जारी करता है कि उन्हें स्थायी कर दिया गया होता, किन्तु स्थायी पद उपलब्ध न होने के कारण ऐसा नहीं किया जा सका है और जैसे ही कोई पद उपलब्ध होता है, उन्हें स्थायी कर दिया जावेगा:—

क्रमांक	उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी का नाम	पदस्थापना का स्थान
(1)	(2)	(3)
1	कुमारी नीना आशापुरे	धार

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
वेद प्रकाश, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 12 सितम्बर 2014

क्र. ए-3221-तीन-10-42-75 (विदिशा-सिरोंज-कुरवाई).—मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 (अधिनियम क्रमांक 19 सन् 1958) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उच्च न्यायालय एतद्द्वारा निर्देशित करता है कि श्री भैया लाल वर्मा, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिरोंज अपने घोषित कार्यस्थल सिरोंज के अतिरिक्त, कुरवाई में भी प्रत्येक माह में 15 (पन्द्रह) दिवस, वहाँ श्रृंखला न्यायालय आयोजित करने हेतु बैठक करेंगे.

No. A-3221-III-10-42-75-Vidisha-Sironj-Kurwai.—In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Madhya Pradesh Civil Courts Act, 1958 (Act No. 19 of 1958) the High Court of Madhya Pradesh hereby directs that the Shri Bhaiya Lal Verma, IInd Addl. Distt. & Session Judge, Sironj in addition to his place of sitting declared at Sironj, shall also sit at Kurwai for 15 (Fifteen) days in each month, for holding of Link Court there.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
विवेक सक्सेना, विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी (डी. ई.)

जबलपुर, दिनांक 12 सितम्बर 2014

क्र. A-3263-तीन-6-2-14-**शुद्धि-पत्र**.—उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर एतद्द्वारा अपने अधिसूचना क्रमांक बी-3988, दिनांक 5 अगस्त 2014 में निम्नलिखित शुद्धिपत्र जारी करता है:—

"उक्त अधिसूचना के सरल क्रमांक 15 में "कु. सोनल पस्तारिया" के स्थान पर "कु. सोनाली पस्टारिया" पढ़ा जावें".

विवेक सक्सेना, विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी (डी. ई.)

जबलपुर, दिनांक 10 सितम्बर 2014

क्र. 1093-गोपनीय-2014-दो-2-1-2014 (भाग-बी).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा (1) के साथ पठित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में दर्शित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी (अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश) को उनके समक्ष स्तम्भ (3) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ (4) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानांतरित कर, उक्त न्यायिक अधिकारी के समक्ष स्तम्भ (6) में निर्दिष्ट अपर जिला न्यायाधीश की हैसियत से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है.

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 8 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्न अधिकारी को उनके नाम के समक्ष निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ (5) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिये सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अपर सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है:—

सारणी

क्रमांक	नाम	कहां से	कहां को	सत्र खण्ड का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	श्री रमेश प्रसाद ठाकुर	जतारा	बासौदा	विदिशा	द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

क्र. 1094-गोपनीय-2014-दो-2-1-2014 (भाग-बी).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 (19 सन् 1958) की धारा 8 की उपधारा (1) तथा धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ श्रेणी) को जिन्हें विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश फा. क्रमांक 3(ए)4-2014-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 2 सितम्बर 2014 द्वारा पदोन्नति पर मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) के पद पर स्थानापन्न रूप में कार्य करने के लिये अस्थायी रूप से नियुक्त किया गया है एवं जिनके नाम निम्न सारणी के स्तम्भ (1) में उल्लेखित है, स्तम्भ (2) में उल्लेखित उनकी वर्तमान पदस्थापना के स्थान से स्थानांतरित कर उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में वर्णित स्थान पर पदस्थ करता है एवं उन्हें निम्न सारणी के स्तम्भ (5) में दर्शित अपर जिला न्यायाधीश की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है एवं निर्देश देता है कि वे निम्न सारणी के स्तम्भ (6) में दर्शाये गये स्थान पर, आगामी आदेश होने तक बैठेंगे.

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 8 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्न अधिकारी को उनके नाम के समक्ष निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ (4) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिये सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अपर सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है:—

सारणी

क्रमांक	अधिकारी का नाम व पदनाम	वर्तमान पदस्थापना का स्थान	पदोन्नति पर पदस्थापना का स्थान	सत्र खण्ड का नाम	न्यायालय का नाम जिसके अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त एवं पदस्थ	न्यायालय में बैठने का स्थान
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	श्री भैया लाल वर्मा, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, रहली जिला सागर.	रहली	सिरौंज	विदिशा	पदोन्नति पर द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में.	सिरौंज

क्र. 1095-गोपनीय-2014-दो-3-1-2014 (भाग-ए).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 तथा न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी को उसी हैसियत में स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है:—

सारणी

क्रमांक	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के जिले का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	श्री हिदायतुल्लाह खान	अनूपपुर	रहली	सागर	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से श्री भैयालाल वर्मा के स्थान पर.

क्र. 1096-गोपनीय-2014-दो-3-1-2014 (भाग-बी).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 एवं न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी को उसी हैसियत में स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है:—

सारणी

क्रमांक	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के जिले का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	श्रीमती संगीता भारती राठौर, विधि सलाहकार, म. प्र. माध्यम, भोपाल के पद से प्रतिनियुक्ति से लौटने पर.	भोपाल	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
वेद प्रकाश, रजिस्ट्रार जनरल.